



राजस्थान सरकार
कार्यालय शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
एवं बाल अधिकारिता विभाग

क्रमांक:प2(2)सान्याअवि/2021/568

जयपुर, दिनांक: 29/6/2022

आदेश

कार्यालय शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक प2(2)सान्याअवि/2021/377 दिनांक 12.05.2022 द्वारा राजकीय कार्यालयों व संस्थानों का पर्यवेक्षणीय विजिट कार्यक्रम 1 जुलाई 2022 को निर्धारित किया गया था।

विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त विजिट कार्यक्रम को आगामी दिवसों में किए जाने का आग्रह के कारण विभागीय राजकीय कार्यालयों व संस्थानों का पर्यवेक्षणीय विजिट दिनांक 01 जुलाई 2022 के स्थान 14 व 15 जुलाई 2022 (गुरुवार एवं शुक्रवार) को किया जायेगा। अतः समस्त विभागीय अधिकारी उपरोक्तानुसार तैयारी सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी अधिकारी विजिट में विभाग के आदेश क्रमांक प2(2)सान्याअवि/2021/377 दिनांक 12.05.2022 द्वारा दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त निम्न कार्यों की भी समीक्षा करेंगे:-

1. छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की समीक्षा।
 2. छात्रावासों /आवासीय विद्यालयों में करवाए गए मरम्मत/निर्माण कार्य की समीक्षा।
 3. HSMS Portal की उपयोग की समीक्षा।
 4. Raj SSO AMS पोर्टल पर उपस्थिति की समीक्षा।
- प्रभारी अधिकारी उपरोक्तानुसार सूचना गूगल फार्म के माध्यम से प्रेषित करेंगे एवं रिपोर्ट सम्पर्क पोर्टल पर भी अपलोड करेंगे।

(डॉ० समित शर्मा)
शासन सचिव

जयपुर, दिनांक: 29/6/2022

क्रमांक:प2(2)सान्याअवि/2021/569-74

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

1. आयुक्त, विशेष योग्यजन/बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निदेशक/प्रबंध निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/अनुजा निगम
3. समस्त, अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/योजना प्रभारी निदेशालय विशेष योग्यजन/सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग/अनुजा निगम/बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/अधीक्षक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/छात्रावास अधीक्षक समस्त।
5. प्राचार्य आवासीय विद्यालय (राईस)
6. रक्षित पत्रावली।